प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के. अग्रवाल

दांडिक अपील क्रमांक 1155/2002

संजय कुमार केशरवानी

- बनाम -

छत्तीसगढ राज्य

एवं

दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 606/2002

श्रीमती तुलसी बाई एवं एक अन्य

- बनाम -

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश
18.01.2010

माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के. अग्रवाल

मै सहमत हुं।

सही/-
एन.के. अग्रवाल
न्यायाधीश

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनांक 21.01.2010 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्रमांक 1155/2002

अपीलार्थी/ (अभियुक्त) (अभिरक्षा में)	:	संजय कुमार केशरवानी पिता श्री दाऊराम केशरवानी उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम खरौद, थाना शिवरी नारायण, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़।
		बनाम
प्रत्यर्थी	:	छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना शिवरी नारायण, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़।

{दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील}

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थित:-

अपीलार्थी की ओर से श्री प्रफुल्ल भरत, अधिवक्ता।

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता।

एवं

दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 606/2002

याचिकाकर्तागण/ (मृतका की माता) (मृतका का भाई)	:	1. श्रीमती तुलसी बाई, पति स्वर्गीय मनोहर लाल गुप्ता, उम्र लगभग 50 वर्ष, 2. निर्मल कुमार गुप्ता, पिता स्वर्गीय मनोहर लाल गुप्ता, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी नया सरकंडा, बिलासपुर तहसील एवं जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।
		बनाम
उत्तरवादीगण	:	1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना शिवरी नारायण, 2. दाऊ राम, पिता शोभा राम, उम्र लगभग 62 वर्ष, 3. सूर्यकांत उर्फ राजू, पिता दाऊ राम, उम्र लगभग 32 वर्ष। 4. श्रीमती रकुमणी बाई, पति दाऊ राम, उम्र लगभग 57

वर्ष।
5. श्रीमती बुटानी बाई उर्फ प्रतिभा, पति सूर्यकांत, उम्र लगभग 25 वर्ष
उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 का निवास ग्राम खरोद, थाना शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)।

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397 और 401 के अंतर्गत दांडिक पुनरीक्षण)

उपस्थितः-
याचिकाकर्तागण की ओर से श्री घनश्याम पटेल, अधिवक्ता।
राज्य/उत्तरवादी की ओर से श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता।
उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 की ओर से श्री वी.सी. ओतलवार, अधिवक्ता।

....

आदेश

(21.01.2010)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय पारित किया गयाः-

1. चूंकि उपरोक्त दांडिक अपील और दांडिक पुनरीक्षण, सत्र विचारण क्रमांक 113/2002 में तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), जांजगीर द्वारा पारित दिनांक 30-9-2002 के एक ही निर्णय से उद्भूत हुए हैं, अतः उनका निराकरण इस समान निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. अपीलार्थी संजय कुमार केशरवानी की ओर से दांडिक अपील क्रमांक 1155/2002, सत्र विचारण क्रमांक 113/2002 में तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), जांजगीर द्वारा दिनांक 30-9-2002 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत अपराध कारित करने का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है, अर्थदण्ड के भुगतान के व्यतिक्रम की दशा में क्रमशः दो वर्ष के सश्रम कारावास और दो वर्ष के सश्रम कारावास भुगतना होगा ।

3. दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 606/2002 याचिकाकर्ता श्रीमती तुलसी बाई एवं निर्मल कुमार गुप्ता क्रमशः मृतका की माता एवं भाई द्वारा तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), जांजगीर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 113/2002 में दिनांक 30-9-2002 को पारित दोषमुक्त करने के निर्णय के विरुद्ध, जिसमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त/उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 को उनके विरुद्ध अभिकथित आरोपों से दोषमुक्त किया था की ओर से प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलार्थी संजय कुमार केशरवानी द्वारा इस आधार पर निर्णय को चुनौती दी गई है कि अपीलार्थी के विरुद्ध विशेष रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित किसी भी विश्वसनीय एवं ठोस साक्ष्य के बिना, विचारण न्यायालय ने उसे उपर्युक्तानुसार सिद्धदोष किया और दंडित किया है।

5. पुनरीक्षण याचिकाकर्तागण ने इस आधार पर निर्णय को चुनौती दी है कि विचारण न्यायालय ने उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 को दोषसिद्ध करने के लिए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को पर्याप्त नहीं माना है और इस प्रकार अवैधानिकता की है।

6. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि अपीलार्थी संजय कुमार मृतका कांति बाई का पति है। उत्तरवादी क्रमांक 2 दाऊ राम और उत्तरवादी क्रमांक 4 रुक्मणी बाई ससुर और सास हैं तथा उत्तरवादी क्रमांक 3 सूर्यकांत और उत्तरवादी क्रमांक 5 बुटानी बाई मृतका कांति बाई के जेठ और जेठानी हैं। दिनांक 26-12-2001 के घटना दिनांक को सुबह लगभग 8 बजे, कांति बाई, जो घटना की तिथि से दो वर्ष पूर्व अपीलार्थी संजय कुमार के साथ विवाहित थी, की अपीलार्थी के घर में जलने के कारण मृत्यु हो गई। अपीलार्थी संजय कुमार ने थाना शिवरीनारायण में मर्ग सूचना प्र.पी-18 के तहत मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि जब वह दुकान में बैठा था, तब उसके पिता दाऊ राम ने सुबह लगभग 8.15 बजे उसे फोन पर सूचना दी कि शौचालय अंदर से बंद है और शौचालय से धुआं निकल रहा है, जिस पर उसने घर जाकर शौचालय का दरवाजा तोड़ा। कांति बाई जलने के कारण मृत पाई गई। मर्ग सुचना के आधार पर विवेचना अधिकारी घटना स्थल के लिए रवाना हुए और प्र.पी-1 के तहत साक्षियों को बुलाने के बाद प्र.पी-2 के तहत मृतका के शव का मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई। शव को शव-परीक्षण के लिए सहायक शल्य चिकित्सक, शिवरीनारायण के पास प्र.पी-17 के तहत भेजा गया और चिकित्सक डॉ. एम.एल. साहू (अ.सा.-10) और डॉ. एन. प्रसाद की टीम द्वारा प्र.पी-4 के तहत शव परीक्षण किया गया, जिन्होंने मृतका के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं: -

➤ 96% सतही जलन;
➤ शव मुक्केबाज़ी जैसी अवस्था में था, बाल अलग-अलग थे;
➤ जले और बिना जले हिस्सों के बीच लाल रेखा मौजूद नहीं थी;
➤ शरीर पर मिले जले हुए अंतःवस्त्र के टुकड़े पर मिट्टी के तेल की गंध थी;
➤ गुदा से मल निकला था;
➤ जीभ बाहर निकली हुई थी, लेकिन काली नहीं हुई थी;
➤ मुँह बंद था; और
➤ पलकें आधी खुली थीं।

आंतरिक परीक्षण में, गर्दन और श्वासनली में रुकावट पाई गई, लेकिन गर्दन, श्वासनली और स्वरयंत्र के अंदर कार्बन कण नहीं पाए गए। मृत्यु श्वसन अवरोध होने के कारण हुई थी। रक्त में कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन की उपस्थिति जानने के लिए आगे की जाँच हेतु विसरा सुरक्षित रखा गया था।

7. जेरी कैन के अंदर मिले दो लीटर केरोसिन लाया गया , एक माचिस, दो जली हुई माचिस की तीलियाँ, एक छोटा लोहदंड, एक पुराना प्लास्टिक मग, टेरीकोट की साड़ी का जला हुआ टुकड़ा,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पेटीकोट का टुकड़ा, बिना जली चादर, गले के हार का जला हुआ टुकड़ा और बाल्टी को प्र.पी-3 के अनुसार घटनास्थल से जब्त किया गया। चिकित्सकों से क्वेरी की गई, जिस पर उन्होंने राय दी कि श्वसन अवरुद्ध होने या गला घोंटने से मृत्यु हुई है और प्र.पी-7 के अनुसार मृत्यु मानववध की प्रकृति की थी। राज कुमार स्टूडियो द्वारा प्र.पी-10 से पी-14 के अनुसार घटनास्थल और शव के फोटो लिए गए, जिन्हें प्र.पी-8ए के अनुसार निगेटिव प्र.पी-16 के साथ बरामद किया गया। मर्ग सूचना के आधार पर प्र.पी-21 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जब्त की गई वस्तुओं को प्र.पी.-28 के अनुसार रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया। पटवारी ने प्र.पी.-8 के अनुसार घटनास्थल का तजरी नक्शा तैयार किया। साक्षियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए और विवेचना पूरी होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जांजगीर के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को उपार्पित कर दिया, जहाँ से विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले को सुनवाई के लिए अंतरण पर प्राप्त किया।

8. अपीलार्थी और उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 के अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने पंद्रह साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्तगण का दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत परीक्षण कराया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध उपस्थित परिस्थितियों से इनकार किया, स्वयं के निर्दोष होने और झूठे फंसाये जाने का अभिवाक किया। बचाव पक्ष ने अभियुक्त/उत्तरवादी क्रमांक 3 राजू उर्फ सूर्यकांत के बहनोई राजेश कुमार गुप्ता (ब.सा.-1) का परीक्षण किया , जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 25-12-2001 को सूर्यकांत और बुटानी बाई उसके बाराद्वार स्थित घर आए, वे दिनांक 26-12-2001 तक रुके और 26-12-2001 को सुबह लगभग 10.30-11 बजे वे मोटरसाइकिल से अपने घर चले गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी संजय कुमार को उपर्युक्त के अनुसार दोषसिद्ध किया और दंडित किया तथा उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 को दोषमुक्त कर दिया।

10. हमने अपीलार्थी संजय कुमार के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भरत, पुनरीक्षण याचिकाकर्तागण श्रीमती तुलसी बाई और निर्मल कुमार गुप्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री घनश्याम पटेल, राज्य के विद्वान उप महाधिवक्ता श्री वी.वी.एस. मूर्ति और उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.सी. ओत्तलवार को सुना है। हमने आक्षेपित निर्णय और विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है।

11. अपीलार्थी संजय कुमार की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भरत ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, अभियोजन पक्ष को परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला साबित करनी होगी ताकि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं में, अपराध कारित अभियुक्त द्वारा ही किया गया था, किसी और द्वारा नहीं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी ने मर्ग सूचना दर्ज की है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि वह अपनी दुकान में उपस्थित था, उसे उसके पिता ने टेलीफोन पर घटना के बारे में सूचित किया, फिर वह अपने घर गया जहां मृतका का जला हुआ शव शौचालय के अंदर मिला, शौचालय अंदर से बंद था, उन्होंने शौचालय का दरवाजा तोड़ दिया और शव को शौचालय से बाहर निकाला। विचारण न्यायालय के निष्कर्ष के अनुसार, तीन परिस्थितियां

अपीलार्थी के विरुद्ध थीं, (1) दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत उसके परीक्षण में उसने मर्ग सूचना के तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि उसे अपने पिता से टेलीफोन कॉल आया था, लेकिन यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे जो टेलीफोन कॉल आया वह स्पष्ट नहीं था और ऐसा प्रतीत होता है कि यह उसका पिता था जो दिखाता है कि वह सच्चाई को छुपा रहा है; (2) जेरी कैन में दो लीटर केरोसिन की उपस्थिति जो स्वाभाविक नही थी; और विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि ये परिस्थितियां वस्तुतः अपीलार्थी के विरुद्ध पर्याप्त नहीं हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति है जिसने अपराध कारित किया है तथा अपीलार्थी के अलावा किसी ने भी अपराध कारित नहीं किया है।

12. अपीलार्थी संजय कुमार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भरत ने प्रतिवाद किया कि वर्तमान मामले में, शव परीक्षण डॉ. एम.एल. साहू (अ.सा.-10) ने एक अन्य चिकित्सक डॉ. एन. प्रसाद के साथ मिलकर प्र.पी-4 के तहत किया था। उन्हें जलने के अलावा कोई अन्य चोट नहीं मिली है। डॉ. एम.एल. साहू (अ.सा.-10) के साक्ष्य से पता चलता है कि मृत्यु के कारण की पुष्टि करने के लिए कि जलन मृत्युपूर्व थी या नहीं, विसरा सुरक्षित रखा गया था। लेकिन अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है कि रक्त में कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन उपस्थित था या नहीं, जो मृत्युपूर्व या मृत्योत्तर जलने से संबंधित निर्णायक साक्ष्य था। जलने के समय सदमे के परिणामस्वरूप अचानक मृत्यु के मामले में, श्वासनली और शरीर के अन्य आंतरिक भागों में कार्बन कण नहीं पाए जा सकते हैं। अभियोजन पक्ष का दायित्व था कि वह अपने मामले को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करे और यह साबित करे कि जलने की घटना मृत्यु के बाद हुई थी और मृत्यु गर्दन पर चोट लगने के कारण मृत्यु से पूर्व हुई थी, लेकिन गर्दन पर कोई चोट नहीं पाई गई। अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि जलने की घटना मृत्यु के बाद हुई थी। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. अपीलार्थी संजय कुमार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भरत ने **शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य**[1] के मामले का अवलंब लिया, जिसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रश्न पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य को साबित करने के संबंध में कुछ शर्तें निर्धारित की थीं। विद्वान अधिवक्ता ने **नेसार अहमद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य**[2] के मामले का भी अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हत्या के मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष को यह दिखाने के लिए निर्विवाद साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है कि अभियुक्त उस घर में उपस्थित था जहाँ मृतका की जलने से मृत्यु हुई थी। विद्वान अधिवक्ता ने मृत शरीर पर मुक्केबाजी की मुद्रा से संबंधित मोदी के चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान का भी संदर्भ लिया, जो इस तथ्य का संकेत है कि जलने के निशान मृत्यु से पूर्व के थे।

14. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री वी.वी.एस मूर्ति ने दृढतापूर्वक तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति है जिसने अपराध करित किया है तथा अपीलार्थी के अलावा किसी ने भी अपराध कारित नहीं किया है।

1 AIR 1984 SC 1622
2 (2001) 9 SCC 736

चिकित्सक ने स्पष्ट रूप से और विशिष्ट रूप से कहा है कि जलने की चोट मृत्यु के बाद की है और मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई है।

15. पुनरीक्षण याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री घनश्याम पटेल ने तर्क दिया कि चिकित्सक और अन्य साक्षियों के साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी ने उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 के साथ मिलकर मृतका कांति बाई की हत्या का अपराध कारित किया था, जिसका उद्देश्य उनके द्वारा गठित विधिविरुद्ध जमाव को बढ़ावा देना था और सभी अभियुक्त अपराध कारित करने के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन विचारण न्यायालय ने उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 को अवैध रूप से दोषमुक्त कर दिया है और इस प्रकार अविधिकता कारित की है।

16. उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी.सी. ओत्तलवार ने पुनरीक्षण याचिका का कड़ा विरोध किया और तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का दायित्व है कि वह अपने मामले को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करे। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के मामले में, दोषसिद्धि को पोषणीय रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए तथा अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ भी असंगत होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को समझने के लिए, हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

18. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि मृतका कांति बाई की मृत्यु श्वास अवरुद्ध/गला घोंटने से हुई थी, न कि मृत्यु-पूर्व जलने के कारण, लेकिन अपीलार्थी एवं उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 के अनुसार, मृतका कांति बाई की मृत्यु जलने के कारण हुई थी और जलन मृत्यु-पूर्व की थी। अन्यथा भी, अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए बाध्य था कि जलने की चोट मृत्यु-पूर्व प्रकृति की नहीं थी और मृतका कांति बाई की मृत्यु श्वास अवरुद्ध होने या गला घोंटने के परिणामस्वरुप हुई थी।

19. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। मृतका कांति बाई का विवाह घटना की तिथि से दो वर्ष पूर्व अपीलार्थी संजय कुमार से हुआ था और उनकी मृत्यु दिनांक 26-12-2001 को अपीलार्थी और उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 के घर में हुई थी। अपीलार्थी संजय कुमार मृतका के पति हैं और उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 मृतका के पति के रिश्तेदार हैं। शव परीक्षण डॉ. एम.एल. साहू (अ.सा.-10) द्वारा प्र.पी-4 के अनुसार किया गया। मृत्यु समीक्षा विंध्याचल सिंह (अ.सा.-14), सहायक उपनिरीक्षक द्वारा प्र.पी-2 के अनुसार तैयार की गई।

20. डॉ. एम.एल. साहू (अ.सा.-10) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 26-12-2001 को लगभग 4.35 बजे शाम को उन्होंने डॉ. एन. प्रसाद के साथ मिलकर कांति बाई के शव का शव परीक्षण किया। उनके शरीर पर 96% सतही जलन के निशान पाए गए; छाती, गर्दन, चेहरा और सिर कोयले से जले हुए थे; शव पगिलिस्टिक अवस्था में था, जो सामान्यतः मृत्युपूर्व जलने के मामलों में पाया जाता है; शरीर

पर बालों के निशान भी पाए गए; शरीर के जले और बिना जले हिस्सों के बीच कोई लाल रेखा नहीं थी; शरीर पर मिले अंतःवस्त्र के जले हुए टुकड़े को हटा दिया गया और अंतःवस्त्र के जले हुए टुकड़े में मिट्टी के तेल की गंध पाई गई; मल गुदा से निकला था; जीभ बाहर निकली हुई थी, लेकिन उस पर दाग नहीं था; शरीर पर जलने के अलावा कोई अन्य चोट नहीं पाई गई तथा गर्दन पर भी कोई चोट नहीं पाई गई।

21. चिकित्सक और प्र.पी-4 के मतानुसार, मृत्यु का कारण मृत्यु के बाद जलने की चोट थी, जो सही नहीं है क्योंकि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद लगी कोई भी चोट उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनती। ऐसा प्रतीत होता है कि चिकित्सक के मतानुसार, जलने की चोट मृत्यु के बाद लगी थी, न कि मृत्यु का कारण। मृत्यु का कारण दम घुटना था।

22. डॉ. एम.एल. साहू (अ.सा.-10) ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि विसरा सुरक्षित रखा गया था और विसरा की जाँच से रक्त में कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन की उपस्थिति की पुष्टि हो सकती है। मृत्युपूर्व जलने की चोट के मामले में कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन की उपस्थिति पूर्व शर्त होगी। चिकित्सक ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 16 में स्वीकार किया है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार तेज़ आग के संपर्क में रहता है, तो मृत शरीर पर मृत्यु के बाद जलने के लक्षण हो सकते हैं। उन्होंने कंडिका 19 में स्पष्ट किया है कि चोट और पागिलिस्टिक के बीच लाल रेखा का होना यह तय करने में भी मददगार है कि चोट मृत्युपूर्व का है या मृत्युपश्चात का। आग फैलने से पूर्व सदमे से अचानक मृत्यु होने की स्थिति में, श्वसन नली के अंदर कार्बन कण नहीं पाए जा सकते हैं। उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 24 में आगे स्वीकार किया है कि उन्हें गला घोंटने का कोई लक्षण नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि अभियोजन पक्ष और पुलिस अधिकारियों के दबाव में उन्होंने झूठी रिपोर्ट तैयार की और गलत राय दी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

23. शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी-4 और डॉ. एम.एल. साहू (अ.सा.-10) के साक्ष्य के अनुसार, मृतका के शरीर पर 96% सतही जलने के घाव पाए गए; शरीर की मुद्रा मुक्केबाज़ जैसी थी; शरीर के जले और बिना जले भागों के बीच लाल रेखाएँ नहीं थीं; मल गुदा से बाहर निकला था; जीभ बाहर निकली हुई थी लेकिन जीभ पर कोई कालापन नहीं था; मुँह बंद था; आँखें आधी बंद थीं; श्वासनली, स्वरयंत्र और फेफड़े भरे हुए थे; श्वासनली और स्वरयंत्र के अंदर कोई कार्बन कण नहीं पाया गया; कोरोनरी शिराएँ उभरी हुई थीं; और यकृत, गुर्दे और तिल्ली भी भरे हुए थे। मृत्यु-पूर्व जलने के मामले में, जले और बिना जले भागों के बीच लालिमा की रेखा, जिसे 'महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया' कहा जाता है, एक प्रमुख विशेषता है। यदि शरीर को खुले में नहीं जलाया गया था, तो मृत्यु-पूर्व जलने की स्थिति में, व्यक्ति कालिख के कार्बन कणों को साँस के द्वारा अंदर ले लेगा और वे स्वरयंत्र, श्वासनली, मुख्य श्वसनिका और छोटी श्वसनिकाओं में पाए जाएँगे। यहाँ तक कि मृत्यु-पश्चात जलने की स्थिति में भी, यदि मुँह खुला था, तो कालिख के कार्बन कण मुँह और गले में पाए जा सकते हैं, लेकिन ग्रासनली में नहीं। जलने की स्थिति में, शरीर का आक्रामक व्यवहार भी मृत्यु-पूर्व जलने का संकेत है। बुरी तरह जले हुए शरीर का रूप 'प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड' (मुक्केबाज़ी जैसी मुद्रा) बन जाता है और यह गर्मी के कारण मांसपेशियों में अकड़न और संकुचन के कारण होता है, जिससे बाँहें कोहनियों से मुड़ जाती हैं और हाथ भींच लिए जाते हैं, सिर थोड़ा फैला हुआ और घुटने मुड़े हुए होते हैं। यह रूप किसी लड़ाई में

शामिल व्यक्ति की मुद्रा जैसा दिखता है और कई बार यह संदेह उत्पन्न करता है कि मृत्यु किसी हिंसक अपराध के दौरान हुई है। दरअसल, शरीर आग लगने पर इसी मुद्रा में आ जाता है।

24. अभियोजन पक्ष रक्त में कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन की उपस्थिति दिखाने के लिए विसरा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहा है। वर्तमान मामले में, जीभ बाहर निकली हुई थी, लेकिन जीभ का कोई कालापन नहीं पाया गया और मल गुदा से निकला था। बचाव पक्ष के मामले के अनुसार, बाथरूम के अंदर मृत्यु-पूर्व जलने की चोट लगी थी, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1.90 मीटर x 1 मीटर और ऊंचाई 2.50 मीटर थी, जैसा कि नक्शा प्र.पी-8 और पटवारी रमेश प्रसाद साहू (अ.सा.-11) के साक्ष्य के अनुसार है, जिस पर किसी भी पक्ष ने विवाद नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, शौचालय की लंबाई और चौड़ाई लगभग 6 फीट x 3 1/4 फीट और ऊंचाई 8 1 1/2 फीट थी। शौचालय का आकार बहुत छोटा था और अगर शौचालय के अंदर किसी व्यक्ति को मृत्यु-पूर्व जलने की चोट लगती है, तो निश्चित रूप से वह कालिख के कार्बन कणों को अंदर लेगा शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी-4 के अनुसार, जलन सतही थी और तापमान इतना अधिक नहीं था, इसलिए बिना सांस लिए तत्काल मृत्यु संभव नहीं थी। जलने की स्थिति में, विशेष रूप से मिट्टी के तेल से, किसी खुले स्थान के बजाय एक छोटे से कमरे के अंदर, कार्बन कणों के साँस के द्वारा अंदर जाने की पूरी संभावना होती है। मृतका का मुँह बंद था, लेकिन जीभ बाहर निकली हुई थी, जो जलने से मृत्यु का संकेत नहीं है, बल्कि श्वास अवरुद्ध होने/श्वसन अवरुद्ध होने से मृत्यु का संकेत है। मुक्केबाजी की मुद्रा (पगिलिस्टिक अवस्था) जलने की चोट का एक लक्षण है और प्रतिरोध का भी। श्वसन अवरुद्ध होने की स्थिति में, मुँह, नाक और गालों पर संघर्ष के निशान अर्थात घर्षण हो सकते हैं, लेकिन अगर मुँह या नाक को बंद करने के लिए मुलायम कपड़े या तकिये का इस्तेमाल किया जाए, तो चोट का कोई बाहरी निशान नहीं हो सकता है और मृत्यु के बाद शरीर को जलाने पर घर्षण भी गायब हो सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

25. वर्तमान मामले में, छाती, गर्दन, चेहरा और सिर कोयले से सने हुए थे। जीभ बाहर निकली हुई थी, लेकिन काली नहीं पड़ी थी। मल गुदा से निकला था। स्वरयंत्र, श्वासनली और ब्रोन्कियल ट्यूब के अंदर कालिख के कार्बन कणों का न होना; लाल रेखा (महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया) का न होना; और मुक्केबाज़ी जैसी मुद्रा, विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले बंद कमरे में मृत्यु-पूर्व जलने की चोट के मामले में, इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि जलने की चोट मृत्यु के बाद की है, न कि मृत्यु-पूर्व की। ऐसा प्रतीत होता है कि यह तकिये या गद्दी जैसी किसी नरम वस्तु का उपयोग करके श्वसन अवरुद्ध होने से हुई मृत्यु का मामला है।

26. उपरोक्त परिस्थितियाँ यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि कथित जलने की चोटें मृत्यु के बाद की हैं, न कि मृत्यु-पूर्व की, और मृत्यु का कारण श्वसन अवरुद्ध होने के कारण दम घुटना था। इन परिस्थितियों में, मृतका की मृत्यु मानव वध की प्रकृति की थी।

27. जहाँ तक विचाराधीन अपराध में अपीलार्थी और उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 की संलिप्तता का प्रश्न है, इस मामले में दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। अपीलार्थी संजय कुमार द्वारा प्र.पी-18 मर्ग सूचना दर्ज कराई गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उस घटना दिनांक को उसके पिता ने सुबह लगभग 8.15 बजे फोन करके बताया कि कांति बाई शौचालय के अंदर थी और शौचालय से धुआँ निकल रहा था। उस समय वह अपनी दुकान में उपस्थित थे। फिर वह घर गए और

लोहे की छड़ से शौचालय का दरवाजा तोड़ा तो शौचालय के अंदर कांति बाई का जला हुआ शव मिला। मर्ग सूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि वह सुबह लगभग 6 बजे दुकान पर गए थे।

28. अन्य अभियुक्त/उत्तरवादी क्रमांक 3 और 5, क्रमशः सूर्यकांत उर्फ राजू और श्रीमती बुटानी बाई ने दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपने परीक्षण में कहा है कि कि घटना के दिन वे घर में उपस्थित नहीं थे, वे बाराद्वार गए थे और वे घटना के बाद आए। अभियुक्त/उत्तरवादी क्रमांक 2 और 4 दाऊ राम और श्रीमती रुक्मणी बाई ने क्रमशः दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपने परीक्षण में यह भी कहा है कि घटना के दिन वे भी घर में उपस्थित नहीं थे और जब वे स्नान करके तालाब से आए तो उन्होंने अपनी बहू अर्थात मृतका कांति बाई का शव देखा। सभी अभियुक्त व्यक्तियों अर्थात अपीलार्थी और उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 ने दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपने परीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि वे घटना के समय उपस्थित नहीं थे। अपीलार्थी संजय कुमार ने कहा है कि जब वह दुकान में उपस्थित था तब उसे टेलीफोन आया, आवाज स्पष्ट नहीं थी और उसने सोचा कि उसके पिता ने उसे फोन किया है। मर्ग सूचना प्र.पी-18 से पता चलता है कि टेलीफोन कॉल आने के बाद वह अपने घर गया, उस समय शौचालय अंदर से बंद था, उसने आवाज दी लेकिन शौचालय के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, शौचालय से धुआं निकल रहा था, तब उसने लोहे की छड़ से शौचालय का दरवाजा तोड़ा और उसकी पत्नी का जला हुआ शव शौचालय के अंदर पाया गया। उसके पिता, भतीजी (भांजी) सिम्मी और भतीजी (भतीजी) प्रियंका घर में उपस्थित थे। मर्ग सूचना में उल्लिखित तथ्य अपीलार्थी द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी है, लेकिन यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, 26 और 27 के अनुसार स्वीकारोक्ति कथन नहीं है। मर्ग सूचना में, अपीलार्थी ने अपराध कारित करना स्वीकार नहीं किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

29. मृतका के पति अपीलार्थी संजय कुमार, तथा उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 (दांडिक पुनरीक्षण में), मृतका के पति के रिश्तेदारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख सहपठित धारा 34 और 201 के तहत आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है। उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है।

30. मृतका कांति बाई का विवाह घटना की तिथि से दो वर्ष पूर्व संजय कुमार से हुआ था। अभियोजन पक्ष ने घटनास्थल के साक्षियों का परीक्षण किया। भाऊप्रसाद शर्मा (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह मृत्यु समीक्षा के समय घटनास्थल पर आए थे। उनके अभिसाक्ष्य से पता चलता है कि वह घटना के साक्षी नहीं हैं। रघुनंदन (अ.सा.-5) भी घटना के साक्षी नहीं हैं। वह घटना के बाद, विवेचना के समय आए थे। भुवन (अ.सा.-8) और चम्पालाल (अ.सा.-9) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि वे मृत्यु समीक्षा के समय उपस्थित थे। अभियोजन पक्ष ने घटना से संबंधित अन्य साक्षियों का परीक्षण नहीं किया।

31. इस मामले में दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। मृतका के भाई मणिशंकर गुप्ता (अ.सा.-2) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना से चार महीने पूर्व बिलासपुर में *सतवासा* समारोह आयोजित किया गया था जहाँ मृतका और अपीलार्थी भी उपस्थित थे। उस दिन मृतका ने उन्हें बताया था कि अपीलार्थी और उसके रिश्तेदार उस पर अत्याचार और क्रूरता का व्यवहार करते थे और उसे मारते-पीटते थे। उन्होंने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका का पति, अर्थात् अपीलार्थी, दुकान के

विस्तार के लिए 50,000 रुपये की माँग करता था, हालाँकि उन्होंने विवाह के समय पर्याप्त दहेज दिया था। मृतका के बड़े भाई निर्मल कुमार गुप्ता (अ.सा.-3) ने मणिशंकर गुप्ता (अ.सा.-2) अर्थात् अपने भाई के अभिसाक्ष्य का समर्थन किया है। मृतका की माँ तुलसीबाई (अ.सा.-4) ने अपने पुत्रों, मणिशंकर गुप्ता (अ.सा.-2) और निर्मल कुमार गुप्ता (अ.सा.-3) के साक्ष्य की पुष्टि की है और कहा है कि उनकी पुत्री ने उन्हें बताया है कि अपीलार्थी और उसके रिश्तेदार दुकान के लिए 50,000 रुपये की माँग करते थे। कमलदेव राव दिघ्रस्कर (अ.सा.-6) और संजय गुप्ता (अ.सा.-7) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी और उसके अन्य रिश्तेदार मृतका पर क्रूरता और अत्याचार करते थे और 50,000 रुपये की माँग करते थे।

32. वर्तमान मामले में, मणिशंकर गुप्ता (अ.सा.-2) - भाई, निर्मल कुमार गुप्ता (अ.सा.-3) भाई, तुलसीबाई (अ.सा.-4) मां, कमलदेव राव दिघ्रस्कर (अ.सा.-6) - रिश्तेदार और संजय गुप्ता (अ.सा.-7) - मृतका के रिश्तेदार ने अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी और उसके रिश्तेदार मृतका पर अत्याचार और क्रूरता करते थे और दुकान के विस्तार के लिए 50,000/- रुपये की मांग करते थे, लेकिन इन साक्षियों ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है और उन्होंने घटना से पूर्व कोई शिकायत नहीं की है। मणिशंकर गुप्ता (अ.सा.-2) ने विशेष रूप से अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी और उसके रिश्तेदारों ने मृतका को उसके साथ उसके मायका भेजने से इनकार कर दिया था। अभियोजन पक्ष ने मृतका की हत्या के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं दिया है। लेकिन इन साक्षियों के अभिसाक्ष्य से पता चलता है कि अपीलार्थी, जो मृतका का पति है, मृतका को पीटता था, उस पर क्रूरता और अत्याचार करता था और दुकान के विस्तार के लिए 50,000/- रुपये की मांग भी करता था। मणिशंकर गुप्ता (अ.सा.-2) के अभिसाक्ष्य से यह भी पता चलता है कि अपीलार्थी ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर मृतका को उसके भाइयों से धन लाने का निर्देश दिया था और घटना के 15 दिन पूर्व ही अपीलार्थी और उसके रिश्तेदारों ने मृतका को उसके मायका भेजने से इनकार कर दिया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

33. वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय ने दहेज हत्या से संबंधित साक्ष्य को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि दुकान के विस्तार के लिए 50,000/- रुपये की मांग दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अनुसार दहेज की मांग नहीं है। मणिशंकर गुप्ता (अ.सा.-2), निर्मल कुमार गुप्ता (अ.सा.-3) - भाई और तुलसीबाई (अ.सा.-4) - मृतका की मां, ने अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी और उसके रिश्तेदारों ने 50,000/- रुपये की मांग की थी। इन साक्षियों ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि वे दहेज की मांग के संबंध में मृतका को प्रताड़ित करते थे। उन्होंने यह अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि अपीलार्थी और उसके रिश्तेदारों ने केवल 50,000/- रुपये की मांग की थी, बल्कि उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी और उसके रिश्तेदारों ने दहेज की मांग की थी और मृतका के साथ क्रूरता की थी। हालाँकि, विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण को केवल इस आधार पर दोषमुक्त किया है कि दुकान के विस्तार के लिए 50,000 रुपये की मांग दहेज की मांग की श्रेणी में नहीं आती है, लेकिन उसने दहेज की मांग से संबंधित अन्य साक्ष्य पर विचार नहीं किया है।

34. मणिशंकर गुप्ता (अ.सा.-2), निर्मल कुमार गुप्ता (अ.सा.-3) और तुलसीबाई (अ.सा.-4) सहित कमलदेव राव दिघ्रस्कर (अ.सा.-6) के अभिसाक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि मृतका को दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता का सामना करना पड़ा था और घटना की तिथि से 15 दिन पूर्व भी, अपीलार्थी और उसके रिश्तेदारों ने मृतका को उसके मायके भेजने से इनकार कर दिया था।

उसकी मृत्यु से शीघ्र पूर्व का प्रश्न तथ्य का प्रश्न है और दहेज की मांग और मृतका की मृत्यु के बीच कुछ संबंध होना चाहिए, यह तय करने के लिए कोई अनम्य सूत्र या कठोर नियम नहीं हो सकता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले कौन सा होगा। मणिशंकर गुप्ता (अ.सा.-2), निर्मल कुमार गुप्ता (अ.सा.-3) और तुलसीबाई (अ.सा.-4) के अभिसाक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलार्थी, जो मृतका का पति है, और मुख्य अभियुक्त, दहेज की मांग के संबंध में मृतका को पीटता था विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात् अन्य अभियुक्त उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 (दांडिक पुनरीक्षण में) को दोषमुक्त कर दिया है। उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलार्थी ही वह मुख्य व्यक्ति है जिसने दहेज की मांग की और मृतका के साथ क्रूरता की। विचारण न्यायालय के निष्कर्ष के अनुसार, अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्य उन्हें दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं थे।

35. उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य की गहन अध्ययन से पता चलता है कि अपीलार्थी संजय कुमार और उसके रिश्तेदारों ने दहेज की माँग को लेकर मृतका पर क्रूरता और अत्याचार किया है और अपीलार्थी ने घटना के 15 दिन पूर्व भी मृतका को उसके मायके भेजने से इनकार कर दिया था। उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 से संबंधित साक्ष्य असंगत हैं और अन्य तात्विक साक्ष्यों या एक-दूसरे के साक्ष्यों से अच्छी तरह से संपुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन अपीलार्थी से संबंधित उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य में एकरूपता है कि अपीलार्थी ने दहेज की माँग को लेकर मृतका पर क्रूरता और अत्याचार किया है और घटना से 15 दिन पूर्व भी अपीलार्थी ने मृतका को उसके मायके भेजने से इनकार कर दिया था। घटना अपीलार्थी के घर के अंदर हुई जहाँ स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति स्वाभाविक नहीं थी। पारिवारिक विवादों या एक ही छत के नीचे रहने वाले रिश्तेदारों के बीच मतभेद की स्थिति में, बाहर से साक्ष्य सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

36. घरेलू हिंसा या उत्पीड़न के मामलों में, आमतौर पर प्रभावित व्यक्ति अर्थात बहू अपने पति या ससुराल वालों के उत्पीड़न या अत्याचारी रवैये के विषय में किसी को नहीं बताती या बताती है, लेकिन जब भी उसे अवसर मिलता है, वह अपने माता-पिता को इसकी सूचना देती है। दुल्हन के माता-पिता आमतौर पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान की उम्मीद में और भविष्य में उत्पन्न होने वाली जटिलताओं से बचने के लिए उपयुक्त समय का इंतजार करते हैं। लेकिन जब मामला असहनीय हो जाता है, तो बहू या प्रभावित महिला अपने पति और ससुराल वालों के अत्याचारी रवैये के विषय में पुलिस, पड़ोसी और अपने अन्य रिश्तेदारों को बताती है ताकि उनके हस्तक्षेप से विवाद सुलझ सके।

37. यह मामला दुल्हन के विवाह के सात दिन के भीतर उसके ससुराल में असामान्य स्थिति में मृत्यु का है। दुल्हन के साथ क्रूरता या अत्याचार के मामले में, आमतौर पर दुल्हन के मायके वाले तुरंत कदम नहीं उठाते, रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते या समस्या के समाधान के लिए जाति सभा नहीं बुलाते, बल्कि वे दुल्हन के सुरक्षित जीवन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतीक्षा करते और देखते रहते थे। वैवाहिक संबंध पति-पत्नी और दो परिवारों के बीच एक नाज़ुक बंधन होता है। दुल्हन के रिश्तेदार हमेशा अपने संबंधों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने में रुचि रखते हैं। इसलिए, दुल्हन सहित दुल्हन के रिश्तेदार प्रतिकूल स्थिति को तब तक सहन करते थे जब तक कि वह उनके लिए असहनीय न हो जाए।

38. वर्तमान मामले में दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। विचारण न्यायालय ने तीन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर विचार किया है, अर्थात् (1) जेरी कैन में 2 लीटर मिट्टी के तेल की उपस्थिति जो स्वाभाविक नहीं थी; (2) टेलीफोन से संबंधित गलत स्पष्टीकरण; और (3) शौचालय से शव निकालने का तथ्य। उपरोक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सिद्धदोष किया है।

39. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के मामले में, शरद (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने साबित किए जाने के लिए कुछ आवश्यक तत्व निर्धारित किए हैं। उक्त निर्णय का कंडिका 152 इस प्रकार है,

> "152. इस निर्णय का गहन विश्लेषण यह दर्शाता है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूरी तरह से स्थापित होने से पूर्व निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
> (1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया था कि संबंधित परिस्थितियाँ 'अवश्य या होनी चाहिए' थीं, न कि 'हो सकती हैं'। 'साबित किया जा सकता है' और 'साबित किया जाना चाहिए या होना चाहिए' के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि विधिक अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहेबराव बोबड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एससीसी 793: (एआईआर 1973 एससी 2622) में अभिनिर्धारित किया है, जहाँ निम्नलिखित अवधारित किया गया है
> : "निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने से पूर्व अभियुक्त को दोषी होना ही चाहिए, न कि केवल दोषी हो सकता है और 'हो सकता है' और 'होना ही चाहिए' के बीच मानसिक दूरी बहुत लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।"
> (2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती,
> (3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,
> (4) वे सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को खारिज कर दें, और
> (5) साक्ष्यों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न छोड़े और यह दर्शाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

40. नेसार (पूर्वोक्त) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हत्या के मामले में, यह दर्शाने के लिए स्पष्ट साक्ष्य होना चाहिए कि अपीलार्थी उस घर में उपस्थित थे जहाँ मृतका की जलने से मृत्यु हुई थी। उक्त निर्णय का कंडिका 6 इस प्रकार है,

> "6. उपरोक्त परिस्थितियों को जोड़ने की अनुमति देने से पूर्व, यह विचार करना अत्यंत आवश्यक है कि क्या अभियोजन पक्ष ने यह दर्शाने के लिए कोई स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलार्थी उस घर में उपस्थित थे जहाँ मृतका की जलने से मृत्यु हुई थी। हमारी राय में, यदि यह पाया जाता है कि उस महत्वपूर्ण समय पर अपीलार्थियों की घर में उपस्थिति सिद्ध नहीं हुई है, तो अन्य सभी परिस्थितियाँ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला को पूरा नहीं करेंगी जिससे किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके जो केवल अपीलार्थियों के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप हो और उनकी निर्दोषता के साथ असंगत हो।"

41. हत्या के मामले में, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अपीलार्थी ने मृतका की मृत्यु के लिए पर्याप्त क्षति पहुँचाई है या अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अपीलार्थी हत्या के षडयंत्र में सम्मिलित था। वर्तमान मामला षडयंत्र के परिणामस्वरूप हत्या के होने पर आधारित नहीं है। इसलिए, अभियोजन पक्ष का यह दायित्व था कि वह निर्विवाद साक्ष्यों द्वारा यह साबित करे कि अपीलार्थी घटना के समय, अर्थात् जब मृतका को जलने की चोटें आईं, घटनास्थल पर उपस्थित था।

42. अपीलार्थी द्वारा दर्ज की गई मर्ग सूचना प्र.पी-18 से पता चलता है कि उस घटना के दिन अपीलार्थी अपनी दुकान में उपस्थित था, उसे एक टेलीफोन कॉल आया जिसके बाद वह अपने घर आया और देखा कि शौचालय से धुआं निकल रहा था, शौचालय अंदर से बंद था और शौचालय का दरवाजा तोड़ने के बाद उसने अपनी पत्नी का जला हुआ शव बाहर निकाला। मर्ग सूचना से यह भी पता चलता है कि अपीलार्थी सुबह 6 बजे दुकान पर गया था और घटना लगभग 8 बजे सुबह हुई। अन्य अभियुक्त व्यक्ति उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 (दांडिक पुनरीक्षण में) ने दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपने परीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि वे घटना के समय घर में उपस्थित नहीं थे और वे बाद में आए। अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि घटना के समय सभी अभियुक्त या कोई भी अभियुक्त घर में उपस्थित था। संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता और अभियोजन पक्ष को अपने मामले को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करना आवश्यक है। अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष की कमज़ोरी का लाभ नहीं उठा सकता।

43. परिस्थितिजन्य साक्ष्य और अन्य साक्षियों के साक्ष्य यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि अपीलार्थी या किसी अन्य अभियुक्त ने मृतका कांति बाई की हत्या की है। हालाँकि, अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी, जो मृतका का पति है, ने दहेज की मांग के संबंध में मृतका की मृत्यु से पूर्व उस पर क्रूरता और अत्याचार किया था। मृतका की मृत्यु असामान्य थी और जलने के कारण नहीं हुई थी। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई थी।

44. प्रारंभ में, अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अंतर्गत दंडनीय अपराध का भी आरोप अधिरोपित किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख में दहेज मृत्यु की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: -

> "**304 ख. दहेज मृत्यु** - (1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति

ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को “दहेज मृत्यु” कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज” का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा ।]

45. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह सिद्ध कर दिया है कि अपीलार्थी मृतका का पति है, मृतका का विवाह घटना से दो वर्ष पूर्व अपीलार्थी से हुआ था, विवाह के सात वर्ष के भीतर ही अपीलार्थी के घर में उसे लगी शारीरिक चोटों के कारण असामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई और दहेज की मांग के संबंध में अपीलार्थी द्वारा उसके साथ क्रूरता और उत्पीड़न किया गया।

46. जहां तक **मृतका की मृत्यु से शीघ्र पूर्व** दहेज की मांग का प्रश्न है, इस प्रश्न पर निर्णय करने के लिए कोई अनम्य सूत्र नहीं हो सकता कि "उसकी मृत्यु से शीघ्र पूर्व" क्या होगा, तथापि, दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच निकटस्थ और जीवंत संबंध अवश्य होना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

47. "मृत्यु से शीघ्र पूर्व" पद पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रेम कंवर बनाम राजस्थान राज्य**[3] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि "मृत्यु से शीघ्र पूर्व" का अर्थ है कि दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच निकट और जीवंत संबंध होना चाहिए। उक्त निर्णय का कंडिका 12 इस प्रकार है,

12. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख और भा.दं.सं. की धारा 304-ख का संयुक्त पठन यह दर्शाता है कि यह दर्शाने के लिए साक्ष्य होनी चाहिए कि पीड़िता की मृत्यु से कुछ समय पूर्व उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था। अभियोजन पक्ष को प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु की संभावना को खारिज करना होगा ताकि इसे 'सामान्य परिस्थितियों से भिन्न होने वाली मृत्यु' के दायरे में लाया जा सके। 'कुछ समय पूर्व' शब्द वहाँ अत्यंत सुसंगत है जहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख और भा.दं.सं. की धारा 304-ख लागू होती हैं। अभियोजन पक्ष यह दर्शाने के लिए बाध्य है कि घटना से कुछ समय पूर्व क्रूरता या उत्पीड़न हुआ था और केवल उसी स्थिति में उपधारणा लागू होती है। इस संबंध में साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 'कुछ समय पूर्व' एक सापेक्ष शब्द है और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और घटना से कुछ समय पूर्व की अवधि के लिए कोई अनम्य सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कोई निश्चित अवधि बताना खतरनाक होगा, और इससे एक निश्चित अवधि का महत्व सामने आता है। दहेज मृत्यु के अपराध के प्रमाण के साथ-साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख के तहत अनुमान लगाने के लिए निकटता परीक्षण का उपयोग किया जाता है। भारतीय दंड संहिता

3 2009 Cri. L.J. 1123

की मूल धारा 304-ख और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख में प्रयुक्त 'मृत्यु से शीघ्र पूर्व' अभिव्यक्ति निकटता परीक्षण के विचार के साथ उपस्थित है। कोई निश्चित अवधि इंगित नहीं की गई है और 'मृत्यु से शीघ्र पूर्व' अभिव्यक्ति परिभाषित नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114, दृष्टांत (क) में प्रयुक्त 'मृत्यु से शीघ्र पूर्व' अभिव्यक्ति का संदर्भ सुसंगत है। यह निर्धारित करता है कि न्यायालय यह मान सकता है कि चोरी के 'तुरंत बाद' माल पर कब्जा करने वाला व्यक्ति या तो चोर है या उसने माल को चोरी का जानते हुए प्राप्त किया है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके। 'मृत्यु से शीघ्र पूर्व' शब्द के अंतर्गत आने वाली अवधि का निर्धारण न्यायालयों द्वारा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना है। हालाँकि, यह इंगित करना पर्याप्त है कि 'मृत्यु से शीघ्र पूर्व' अभिव्यक्ति का सामान्यतः यह अर्थ होगा कि संबंधित क्रूरता या उत्पीड़न और संबंधित मृत्यु के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच एक निकट और जीवंत संबंध अवश्य होना चाहिए। यदि क्रूरता की कथित घटना समय से बहुत दूर है और इतनी पुरानी हो गई है कि संबंधित महिला का मानसिक संतुलन बिगड़ न सके, तो इसका कोई महत्व नहीं होगा।"

48. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी की दहेज हत्या कारित की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

49. यह अपीलार्थी संजय कुमार की दोषसिद्धि के विरुद्ध एक दांडिक अपील है। अपील न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 के खंड (ख) के उप-खंड (ii) और (iii) के अंतर्गत दिए गए निष्कर्ष को बदलने, दण्ड को यथावत रखने, या निष्कर्ष को बदले बिना या बदले बिना, दण्ड की प्रकृति या सीमा को बदलने का अधिकार है, लेकिन उसे बढ़ाने का अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की पुनः विवेचना और परिवर्तन के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **शाम सुंदर बनाम पूरन और एक अन्य**[4] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील में निष्कर्ष और दण्ड को उलट सकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है या निष्कर्ष को बदलकर दण्ड को यथावत रख सकता है या निष्कर्ष को बदलकर या बदले बिना प्रकृति को बदल सकता है। उक्त निर्णय का कंडिका 2 इस प्रकार है,

> "2. उच्च न्यायालय,, दं.प्र.सं. की धारा 386 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, किसी दोषसिद्धि से अपील में निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है या निष्कर्ष को बदल सकता है, दंडादेश को यथावत रख सकता है या निष्कर्ष को बदलने के साथ या बिना बदले, प्रकृति या सीमा या दंड की प्रकृति और सीमा को बदल सकता है, लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकता। साक्ष्य से निपटने में उच्च न्यायालय की शक्तियां विचारण न्यायालय जितनी ही व्यापक हैं। तथ्यों की अंतिम न्यायालय के रूप में, उच्च न्यायालय का यह भी कर्तव्य है कि वह साक्ष्य का परीक्षण करे और अपीलार्थीओं के दोषी होने या न होने के विषय में अभिलेख पर उपलब्ध पूरे साक्ष्य के आधार पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचे।"

4 AIR 1991 SC 8

50. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **नरिंदर सिंह एवं एक अन्य बनाम पंजाब राज्य**[5] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि संहिता की धारा 386 के अंतर्गत समस्त साक्ष्यों का नए सिरे से विवेचना स्वीकार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया है कि सत्र न्यायालय के दोषमुक्त करने के निर्णय को पलटने में उच्च न्यायालय का निर्णय सही था। विचारण न्यायालय के निर्णय में विकृतियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। साक्ष्यों की विवेचना पूरी तरह से अनुचित है और उसने तात्विक अनियमितता बरती है। अपीलार्थीयों को दोषमुक्त करने के लिए महत्वहीन परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है।

51. यह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निर्णय के विरुद्ध एक दांडिक अपील है और अपीलीय न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर निर्णय की पुनःविवेचना करने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 के अनुसार अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय को सुधारने के लिए स्वतंत्र है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **शाम सुंदर और नरिंदर सिंह (पूर्वोक्त)** के मामलों में अभिनिर्धारित किया है, दं.प्र.सं. की धारा 386 के तहत संपूर्ण साक्ष्य का पुनः विवेचना स्वीकार्य है।

52. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों की गहन जाँच करने पर, अपीलार्थी संजय कुमार का कृत्य स्पष्टतः भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अंतर्गत आता है। अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 एवं 304ख सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए विचारण चलाया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध एक गंभीर अपराध है और भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अंतर्गत दंडनीय दहेज मृत्यु का अपराध, दहेज मृत्यु एवं हत्या के आरोपों के मामले में, हत्या के अपराध में सम्मिलित एक छोटा अपराध है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

53. वस्तुतः, भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख में प्रदत्त दहेज मृत्यु की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि दहेज मृत्यु या तो हत्या है या आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण है, परन्तु यह स्वाभाविक या आकस्मिक मृत्यु नहीं है। ऐसे अपराधियों को दण्डित करने की दृष्टि से, जिनके विरुद्ध सामान्यतः अपराधी के घर में ही विशिष्ट परिस्थितियों में मृत्यु होने के कारण अभियोजन पक्ष की ओर से हत्या या आत्महत्या के दुष्प्रेरण का साक्ष्य प्रस्तुत करना संभव नहीं होता, विधानमंडल ने वर्ष 1986 में एक नया प्रावधान लागू किया है। हत्या के लिए अधिकतम दण्ड मृत्युदण्ड और न्यूनतम दण्ड आजीवन कारावास है, किन्तु दहेज मृत्यु के लिए अधिकतम दण्ड आजीवन कारावास और न्यूनतम दण्ड सात वर्ष का कारावास है।

54. आरोपित अपराध सहित सिद्ध अपराध की स्थिति में, न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 222 के अनुसार व्यक्ति को बड़े अपराध में सम्मिलित छोटे अपराध के लिए भी दोषसिद्ध करने के लिए सक्षम है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 222 इस प्रकार है:-

> "222. जब वह अपराध, जो साबित हुआ है, आरोपित अपराध के अंतर्गत है- (1) जब किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें कई विशिष्टियां हैं, जिनमें से केवल कुछ के संयोग से एक पूरा छोटा अपराध बनता है और ऐसा संयोग साबित हो जाता है किन्तु

---
5 (2000) 4 SCC 603

शेष विशिष्टियां साबित नहीं होती हैं तब वह उस छोटे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था।

(2) जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं जो उसे घटाकर छोटा अपराध कर देते हैं तब वह छोटे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था।

(3) जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है तब वह उस अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि प्रयत्न के लिए पृथक् आरोप न लगाया गया हो।

(4) इस धारा की कोई बात किसी छोटे अपराध के लिए उस दशा में दोषसिद्ध प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी जिसमें ऐसे छोटे अपराध के बारे में कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं हुई हैं।"

55. अपीलार्थी पर मूलतः भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के साथ धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आरोप अधिरोपित किया गया था। वर्तमान मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अंतर्गत अपराध, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध में सम्मिलित है और अपीलार्थी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 222 के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अंतर्गत सिद्धदोष किया जा सकता है। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया और दण्डित किया, परन्तु मामले के इस सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया कि ऐसे अपराध के घटित होने के समय अभियुक्त/अपीलार्थी के घर में या घटनास्थल के निकट उपस्थित होने से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं है, परन्तु मर्ग सूचना से पता चलता है कि अपीलार्थी घटना के समय अपने घर में, जहाँ अपराध घटित हुआ था, उपस्थित नहीं था और इस प्रकार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अवैधता की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

56. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्तगण द्वारा बचाव पक्ष के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों की गहन जांच के बाद, हमारा यह सुविचारित मत है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अपीलार्थी संजय कुमार को उसकी पत्नी कांति बाई की हत्या के लिए दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के बराबर है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के तहत दंडनीय अपराध कारित किया है।

57. पूर्वगामी कारणों से,

(क) मृतका की माता श्रीमती तुलसी बाई और भाई निर्मल कुमार गुप्ता की ओर से प्रस्तुत दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 606/2002 खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्वारा खारिज किया जाता है।

(ख) अपीलार्थी संजय कुमार की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमाकं 1155/2002 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किये जाने के बजाय, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के तहत दोषसिद्ध किया जाता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के आरोप में शामिल है।जहाँ तक दण्ड के प्रश्न का प्रश्न है,, पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत सामग्री और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए,

अपीलार्थी की अभिरक्षा की अवधि, अर्थात् दिनांक 30-12-2001 से लगभग 8 वर्ष 1 माह की अवधि तक जेल में निरुद्ध रहने का दंड पर्याप्त दंड है, अतः अपीलार्थी को उसके द्वारा पहले से बिताई गई अभिरक्षा की अवधि अर्थात् दिनांक 30-12-2001 से अब तक की अभिरक्षा की अवधि से दण्डित किया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

सही/-
एन.के. अग्रवाल
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By .... Angel Kujur, Advocate